UPKU010041362026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**1200/2026**

सोन सिंह उर्फ सोहन सिंह बउम्र 67 वर्ष पुत्र स्व० सिंगारा सिंह,
साकिन–गुरू का बाग, थाना–झंडेर, जिला–अमृतसर (पंजाब),

---- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

---अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–166/2024,
धारा–3 (1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1986,
थाना–तुर्कपट्टी,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– उपरोक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त **सोन सिंह उर्फ सोहन सिंह** ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2024 को वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह मय सरकारी वाहन मय चालक के देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्त के रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र में मामूर था कि दौरान भ्रमण करते हुए ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जोर सिंह उर्फ जोध सिंह अपने सहयोगी सदस्य सोन सिंह, हरेन्द्र सिंह उर्फ हरजेन्द्र, अमरीक सिंह के साथ मिल कर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर लिया है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा गोवंशीय पशु को अपने सहयोगियो के माध्यम से क्रूरता पूर्वक बांध कर वध हेतु परिवहन व तस्करी किये जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा दिनांक 19.09.23 को वाहन सं० ट्रक संख्या PB 46M 8029 में 12 राशिय गौवंशीय पशु गाय को रस्सी से कुरता पूर्वक बांध कर वध हेतु ले जाते समय बरामद

कर अभियुक्तगण जोर सिंह उर्फ जोध सिंह, सोन सिहं, हरेन्द्र सिंह हरजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 366/23, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम परिणाम आरोप पत्र सं० ए 363/23 दि0 03.09.23 व अभियुक्त अमरीक सिंह के के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में आरोप पत्र ए 363 ए 23 दि० 09.03.24 पंजीकृत है। इस गिरोह का लीडर जोर सिंह उर्फ जोध सिंह उपरोक्त अन्य सदस्यो के साथ मिल कर गोवशीय पशुओ को क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु परिवहन व तस्करी करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश से अवैध रुप से गोवंशीय पशु का वध हेतु क्रूरता पूर्वक बाध कर परिवहन व तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये है। यह गिरोह अपना सदस्य बदल कर भी पशु तस्करी करते रहते है। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय है। इस गिरोह का जनता के लोगो में भय व दहशत व्याप्त हो गया है। उक्त गिरोह के भय व दहशत के कारण जनता का कोई भी भी व्यक्ति इनके विरुद आभियोग पंजीकृत कराने एवं गवाही देने का साहस नही करता है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में न तो लम्बित है न ही विचारणीय है। प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के ही उपरोक्त तथ्य वादी मुकदमा ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रार्थी किसी भी आपराधिक गिरोह का न तो लीडर है और न ही सदस्य है। प्रार्थी गोवशीय पशुओं की तस्करी नहीं करता है और न ही आर्थिक भौतिक बुनियादी लाभ करने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं का परिवहन करता है। प्रार्थी ने कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित नहीं किया है। गैंगचार्ट में वर्णित एक मात्र मु०अप०सं० 366/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना–तुर्कपट्टी जिला–कुशीनगर है। जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी 67 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 08.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अन्त मे प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु याचना की गई।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त गिरोह का सदस्य है, जो गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गो तस्करी जैसे अपराध कारित करता हैं और अपना जीवन यापन करता है। अभियुक्त मूल अपराध संख्या 366/2023 में जमानत प्राप्त करने के उपरान्त उक्त मुकदमें में आज तक हाजिर नहीं आया है। अभियुक्त पंजाब प्रान्त का रहने वाला है, जिसको इस मुकदमें में उसके घर पंजाब में दबिश दिये जाने के उपरान्त गिरफ्तार किया गया है। जमानत प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त इस मामले में भी फरार होने की संभावना है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5– न्यायालय द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली व अन्य प्रपत्रो का परिशीलन किया गया।

6– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह एक संगठित गैंग का सदस्य है, जिसके द्वारा गो

तस्करी का कार्य किया जाता है और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर विरोध करने पर गम्भीर अपराध को अंजाम दिया गया है। गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध **मु०अप०सं० 366/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना–तुर्कपट्टी जिला–कुशीनगर** दर्ज है। विशेष लोक अभियोजक, गैंगेस्टर द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पंजाब राज्य का रहने वाला है। गैंगचार्ट में अंकित अप०सं० 366/2023 में जमानत प्राप्त करने के उपरान्त आज तक हाजिर अदालत नहीं आया है। पुलिस द्वारा बार–बार दबिश दिये जाने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ। यदि पुनः इस मामले में जमानत दिया जाता है तो उसके बाहर भागने की प्रबल सम्भावना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **अनिल कुमार दाऊ बनाम उ०प्र० राज्य 2008 (61) इलाहाबाद, उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) व (5)** के सन्दर्भ में यह अवधारित किया गया है कि गैंग चार्ट में दर्शित मामलों में अभियुक्त को जमानत पर मुक्त होना मात्र यह विश्वास करने के लिये युक्ति संगत आधार नहीं है कि अभियुक्त निर्दोष है। केस डायरी के परिशीलन से यह विश्वास नहीं होता है कि अभियुक्त लगाये गये अपराध की दोषी नहीं है और न ही विश्वास करने का युक्ति–युक्त आधार है कि उसे जमानत पर छोड़े जाने पर वह गिरोह बन्ध एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त नहीं रहेगा। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सोन सिंह उर्फ सोहन सिंह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 04.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.04 16:53:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court